UPFR010020792026

Criminal Misc. Cases/1046/2026
Farrukhabad
State Government Vs. Ashu and others

न्यायालय विशेष न्यायाधीश(द०प्र०क्षे०)/ अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-03,
फर्रुखाबाद।

प्रकीर्ण वाद सं०-1046/2026

मोनिका प्रति आशू आदि

आदेश

07-08-2026

प्रर्कीण प्रार्थना पत्र पेश हुआ।

अभियोजन द्वारा एस०एस०टी० नं० 242/2022 मोनिका प्रति आशु आदि के मामले में अभियुक्तगण आशु एवं अनमोल की जमानत निरस्त किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जोकि दाण्डिक प्रकीर्ण सं० 1046/2026 के रूप में दर्ज किया गया। जमानत निरस्तीकरण हेतु प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान ही एस०एस०टी०नं० 242/2022 में अभियुक्तगण आशु एवं अनमोल के अनुपस्थित होने के कारण उनके विरूद्ध गैर जमानतीय वांरट न्यायालय द्वारा दिनांक 30-07-2026 को जारी किया जा चुका है तथा उसी तिथि में बाद में उपस्थित आए अभियुक्त आशु को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार प्रेषित किया गया। चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त आशु जिला कारागार में निरूद्ध है तथा अन्य अभियुक्त अनमोल के विरूद्ध न्यायालय द्वारा एन बी डब्लू जारी किया जा चुका है। अतः एसी स्थिति में दोनो अभियुक्तगण की जमानत निरस्त किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र पोषणीय न होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अभियोजन को यह छूट प्रदान की जाती है कि यदि अभियुक्त अनमोल के विरूद्व जारी एन बी डब्लू को न्यायालय द्वारा निरस्त किये जाता है तब अभियोजन अभियुक्त अनमोल को पूर्व

Digitally signed by SHAILENDRA SACHAN
Date: 2026.08.07 16:43:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

में प्रदान की गयी जमानत को निरस्त करने हेतु पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है।

विशेष न्यायाधीश(दस्यु प्रभावित क्षेत्र)/
तृतीय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, फर्रूखाबाद।